-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.01.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 12 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 20 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में **अलग-अलग 02 मामलों में कुल 12 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 20 हजार रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बिसण्डा में पंजीकृत अभियोग (एनसीआर)- 233/13 धारा 323/504/506 भादवि के 04 अभियुक्तों 1-मुन्नालाल यादव पुत्र रामखेलावन, 2-भोला यादव पुत्र रामखेलावन, 3-दादूराम पुत्र मुन्नीलाल व 4-विनोद पुत्र मुन्नीलाल यादव निवासीगण थाना बिसण्डा जनपद बांदा को **01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 03-03 हजार रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना बिसण्डा में पंजीकृत अभियोग 264/13 धारा 147/148/308/452/323/504/506 भादवि के 08 अभियुक्तों 1-मुन्ना पुत्र परसन मिश्रा, 2-लोई उर्फ दीपक मिश्रा पुत्र मन्ना, 3-राजाबाबू पुत्र देवीदयाल, 4-जीतू उर्फ जितेन्द्र पुत्र राजाबाबू, 5-नन्ना उर्फ रोहित पुत्र राजाबाबू, 6-बालकेश पुत्र रामप्रसाद मिश्रा, 7-मुखिया उर्फ संदीप पुत्र मुन्ना मिश्रा व 8-बलदाऊ निवासीगण ओढ़की थाना कमासिन जनपद बांदा को **01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 01-01 हजार रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।